न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
पंचायत रिवीजन संख्याः 126/2015
दायर दिनांकः 24.06.2015
निर्णय दिनांक 13.01.2025

—: अनवान :—

1. श्री सुल्तान सिह पिता सुरज सिह जी राव उम्र 60 वर्ष, निवासी उमठी, तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्री किशन सिह पिता सुरज सिह जी राव उम्र 62 वर्ष, निवासी उमठी, तहसील व जिला राजसमन्द (राज0) **— निगराकार**

बनाम

1. ग्राम पंचायत पिपलांत्री जरिये सरपंच/सचिव महोदय, ग्राम पंचायत पिपलांत्री, तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्री नवल सिह पिता सुरज सिह जी राव उम्र 58 वर्ष, निवासी उमठी, तहसील व जिला राजसमन्द (राज0) **— गैर निगराकार**

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम निगरानी बाबत् ग्राम पंचायत पिपलान्त्री के द्वारा ग्राम उमठी में स्थित पैतृक मकान का जरिये मिसल नम्बर 132 सन् 2004—05 पट्टा क्रमांक 36 दिनांक 14.12.2004 को निरस्त कराने बाबत्।

उपस्थितः—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता प्रार्थी/निगरानीकार
2— श्री अब्दुल हकिम चुड़ीघर, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 अनु0
3— श्री श्याम सुन्दर पालीवाल, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम निगरानी बाबत् ग्राम पंचायत पिपलान्त्री के द्वारा ग्राम उमठी में स्थित पैतृक मकान का जरिये मिसल नम्बर 132 सन् 2004—05 पट्टा क्रमांक 36 दिनांक 14.12.2004 को निरस्त कराने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगराकार एवं विपक्षी संख्या 02 आपस में सगे भाई होकर ग्राम उमठी तहसील राजसमन्द के निवासी है तथा तीनो सूरज सिंह जी के वारिसान उत्तराधिकारी है। निगराकार एवं विपक्षी संख्या 02 का एक पैतृक मकान अन्दर हल्का आबादी ग्राम उमठी में स्थित है, जो जरिये विरासत निगराकार को सूरज सिंह से प्राप्त हुआ है। उक्त मकान का पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से विभाजन हो रखा है। उसमें प्रवेश द्वार पर पोल बनी हुई है तथा अंदर मेडिया व कमरे बने हुए है जो तीनो भाइयों को आपसी भाई विभाजन में अलग—अलग हिस्सा प्राप्त हुआ है जिस पर तीनो भाई अपने

न्यायालय जिला कलक्टर

अपने हिस्से पर काबिज होकर उक्त मकान का आपसी सहमति से उपयोग उपभोग करते आ रहे है। उक्त पैतृक मकान जिसके चतुर्थ दिशा के पडौस निम्न है :– पूर्व में भेरूदास वैष्णव का मकान, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में केशर सिह जी का मकान व दक्षिण में आम रास्ता स्थित है, उक्त पडौसों के मध्य स्थित मकान पुश्तैनी बताते हुए अवैध रूप से पट्टा ग्राम पंचायत से मिलीभगत करते हुए विपक्षी संख्या 02 ने अपने नाम जारी कराने का आवेदन पत्र दिनांक 20.10.2004 को पेश किया है। इस आवेदन पत्र के पुस्ट पर अनापत्ति प्रमाण पत्र के रूप में दो मोहल्लावासी के हस्ताक्षर करवाये गये है, जो मकान के पडौसी एवं मोहल्लावासी है लेकिन उक्त दोनो हस्ताक्षर एवं अंगुठा निशानी फर्जी व कूटरचित है। भूरदास वैष्णव व रूप सिह ने नवल सिह के आवेदन पत्र पर अनापत्ति प्रमाण पत्र पर अपने कोई हस्ताक्षर/अंगुठा निशानी नही की है। ग्राम पंचायत पिपलान्त्री के द्वारा उक्त मकान का पट्टा पुश्तैनी आधार पर जारी किया गया है और आवेदन पत्र पेश करने की दिनांक को ही पट्टा जारी करने के लिए कार्यवाही प्रारंभ कर उसी दिन पर्चा मौका व नक्शा बना दिया गया, लेकिन कोई भी व्यक्ति मौके पर नही गया, सारी कार्यवाही पंचायत में बैठकर कर दी गयी। पंचायत के द्वारा उक्त मामले में आपत्ति आह्वान पत्र एक माह की अवधि निकालने का आदेश दिया लेकिन एक माह की अवधि का कोई एतराज पत्र नही निकाला गया। एतराज पत्र मूल ही पत्रावली में संलग्न कर दिया गया, उसे न तो चस्पा किया गया और ना ही उसकी तामिल करायी गयी। ग्राम पंचायत के द्वारा आपत्ति आह्वान पत्र दिनांक 20.10.2004 को एक माह की अवधि के लिए जारी किया जाना बताया। उक्त अवधि गुजरने के बाद पत्रावली पेश होने का आदेश दिया गया था लेकिन दिनांक 20.11.2004 से पूर्व ही पत्रावली दिनांक 05.11.2004 को प्रस्तुत हो गयी और उसमें किसी प्रकार की आपत्ति नही होना बताते हुए, पट्टा दिये जाने की सिफारिश कर दी गयी। उक्त अवैध कार्यवाही के आधार पर दिनांक 14.12.2004 का उक्त मकान का पट्टा जारी कर दिया गया, जो कि अवैध है। ग्राम पंचायत के द्वारा जारी किया गया पट्टा पैतृक मकान का है, जिसे निगराकार की सहमति एवं स्वीकृति नही ली गयी है, उनकी स्वीकृति, सहमति के बिना उक्त पैतृक मकान का पट्टा अकेले नवल सिह के नाम पर जारी करना अवैध व विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत ने उक्त कार्यवाही में अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर नवल सिह जी से मिलकर फर्जी रूपेण यह पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टे से नवल सिंह जी को उक्त भूमि में कोई हक अधिकार नही मिलते है, वादग्रस्त मकान नवल सिह जी के अकेले का नही है, बल्कि निगराकार भी इस सम्पत्ति का संयुक्त रूप से मालिक और स्वामी है एवं काबिज होकर उपयोग, उपभाग कर रहे है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि निगराकार की निगरानी याचिका स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत पिपलान्त्री के द्वारा मिसल सं0 132/2004–05, पट्टा संख्या 36 दिनांक 14.12.2004 को विपक्षी संख्या 02 के पक्ष में जारी किया गया, उसे निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री अब्दुल हाकिम चुड़ीघर उपस्थित किन्तु वक्त बहस अनुपस्थित तथा अप्रार्थी 02 संख्या की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर पालीवाल द्वारा वकालतनामा पेश कर उपस्थित दी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं ने मौखिक बहस न कर लिखित बहस पेश करने हेतु निवेदन किया किन्तु बार–बार न्यायालय द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत करने हेतु अवसर देने के उपरान्त भी उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत नही की गई।

न्यायालय जिला कलक्टर

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के लिखित बहस प्रस्तुत नही करने पर पत्रावली के गुणावगुण पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में निगराकार ने ग्राम पंचायत पीपलांत्री द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अर्न्तगत बने राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियमो के तहत श्री नवल सिह पुत्र श्री सूरज सिह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 36 दिनांक 14.12.2004 के विरूद्ध निगरानी याचिका इस आधार पर प्रस्तुत की है कि ग्राम पंचायत पीपलांत्री ने ग्राम उमठी में पैतृक मकान का अकेले नवल सिह के नाम प्रश्नगत पट्टा जारी किया।

निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी एवं संलग्न समस्त दस्तावेजो का गहराई से अध्ययन किया। ग्राम पंचायत पीपलांत्री की प्रमाणित पट्टा पत्रावली के अवलोकन पाया कि विपक्षी श्री नवल सिह पुत्र श्री सूरज सिह द्वारा ग्राम उमठी की आबादी भूमि में अपने पुराने गृह का पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर ग्राम पंचायत पीपलांत्री द्वारा विधिवत् पत्रावली संधारित की गई। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार आपत्ति आहवान पत्र जारी किया जाकर विपक्षी के कब्जेशुदा मकान का पंचो की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया गया व मौतबिरान के बयान लिए गए तत्पश्चात पंचायत कौरम में प्रस्ताव लिया जाकर विपक्षी श्री नवल सिह पुत्र श्री सूरज सिह के पक्ष में पैतृक मकान का तथाकथित पट्टा जारी किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने बाबत प्रेषित पत्रावली में सभी प्रक्रियाओं की पालना किया जाना पाया गया। निगराकार द्वारा अपनी निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को सिद्ध करने का दायित्व अधिवक्ता निगराकार का था परन्तु अधिवक्ता निगराकर द्वारा निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों के समर्थन में कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत पट्टा लगभग 20 वर्ष पूर्व जारी किया गया था तथा 20 वर्षो के असाधारण विलम्ब के लिए भी निगराकार द्वारा कोई साक्ष्य/आधार प्रस्तुत नही किये। अतः निगराकर द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आधारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 13.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)